निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
77/2017	14.11.2017	18.1.2019

कंचन पत्नी श्योनारायण, माली निवासी महूकलां तह0 गंगापुरसिटी ——वादी

बनाम

1. पप्पू पुत्र कन्हैयालाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री तरूण शर्मा,एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री महेश मानवातार, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि साबिक ख0नं0 31 रकबा 5 बीघा मिसरया पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी महूकलां की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। वादी के ससुर मिश्रया उर्फ मिश्रीलाल पुत्र ग्यारसा का देहान्त हो चुका है एवं इसके बाद वादिया उनकी भूमि को काश्त करती चली आ रही है। दिनांक 13.7.2017 को वादिया जब अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि को काश्त कर रही थी तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिया को धमकी दी वह चुपचाप यहां से चली जावे, अब इस भूमि को मैं काश्त करूंगा। वादिया के ससुर की खातेदारी की भूमि ख0नं0 31 रकबा 5 बीघा ग्राम बाढ छावा नं0 1 का नवीन ख0नं0 76 रकबा 0.50 है0 कायम किया गया है जिसे गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। यह भूमि वादिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। भूमि सिवायचक दर्ज होने के कारण वादिया सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का दावा डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 76 रकबा 0.50 है0 ग्राम बाढ छावा नं0 1 तहसील गंगापुर सिटी का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करमाया जावे कि वे उपरोक्त भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में वादिया को कोई मजांहमत न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब दावे में वादिया के दावे को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि वादिया ने दावा गलत तथ्यों के

सत्यमेव जयते

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

आधार पर प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि पर वादिया का कभी कब्जा नहीं रहा है बल्कि भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त है। कब्जे के अभाव में वादिया का दावा खारिज होने योग्य है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी नं0 2 की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई:—

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 31 रकबा 5 बीघा ग्राम बाढ छावा नं0 1 मिश्रया पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी महुकलॉ की खातेदारी की भूमि रही है। मिश्रया फौत हो चुका है एवं वादिया मिश्रया की वारिस होने के कारण वादग्रस्त भूमि की खातेदार है। ——वादी

2. आया भूप्रबन्ध ने साबिक ख0नं0 31 का नवीन नं0 76 रकबा 50 एयर बनाया है जिसे गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। ——वादी

3. आया वादिया भूमि ख0न0 76 रकबा 50 एयर की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। —— वादी

4. आया वादग्रस्त भूमि पर वादिया का कब्जा नही होकर जबाबदार का कब्जा है। इसलिए वादिया का दावा चलने योग्य नही है।——प्रतिवादी न0 1

5. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने असल वसीयतनामा प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी सं0 2016 प्रदर्श—2, नकल खतौनी भू—प्रबन्ध प्रदर्श—3, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रदर्श—4, नकल खतौनी भू—प्रबन्ध प्रदर्श—5, नकल जमाबंदी सं0 2003 लगायत 2022 प्रदर्श—6, नकल मिलान क्षेत्रफल भू—प्रबन्ध प्रदर्श—7, नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 प्रदर्श—8, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श—9 प्रस्तुत किए हैं एवं स्वयं के बयान पी0डब्लू0 1, गवाह सत्यप्रकाश माली के बयान पी0डब्लू0 2, गवाह बृजमोहन माली के बयान पी0डब्लू0 3 कराए हैं।

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादी के विद्धान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से वादी का दावा पूर्णरूप से प्रमाणित है अतः वादी का दावा डिक्री फरमाया जावे।

कलेक्टर ... जिला ... सत्यमेव जयते ... सिटी (स0मा0)

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रतिवादी नं0 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है इसलिए दावा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2003 लगायत 2022 प्रदर्श–6 के अनुसार भूमि ख0नं0 63 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा एवं भूमि ख0नं0 64 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा कुल 5 बीघा ग्राम बाढ छावा चक नं0 1 ग्यारसा वल्द मेंदा माली की खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रदर्श–4 के अनुसार ख0नं0 63 एवं 64 का एकीकरण ख0नं0 31 रकबा 5 बीघा कायम किया गया है जो नकल खतौनी एकीकरण सं0 2016 प्रदर्श–2 के अनुसार मिसरया पुत्र ग्यारसा माली की खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–7 के अनुसार ख0नं0 31/2 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा का भू–प्रबन्ध में ख0नं0 76 रकबा 0.50 है0 एवं ख0नं0 31/2 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा का नवीन ख0नं0 78/82 रकबा 0.55 है0 कायम किया गया है। नकल खतौनी भू–प्रबन्ध प्रदर्श–3 केअनुसार ख0नं0 78/82 रकबा 0.55 है0 गोपी पुत्र रामदेव माली की खातेदारी में दर्ज किया गया है एवं ख0नं0 76 रकबा 0.50 है0 सिवायचक नकल खतौनी भू–प्रबन्ध प्रदर्श–5 के अनुसार दर्ज किया गया है। असल वसीयतनामा प्रदर्श–1 के अनुसार वादिया मृतक मिश्रया की वारिस है। इस प्रकार वादिया की ओर से प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादिया मिश्रया पुत्र ग्यारसा माली की वारिस है, ख0नं0 76 रकबा 0.50 है0 मिसरया माली के साबिक ख0नं0 31 से बना नम्बर है जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसरया के नाम दर्ज नहीं कर गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। वादिया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई इस गलत कार्यवाही की दुरूस्ती करवा कर भूमि ख0नं0 76 रकबा 0.50 है0 की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। जहां तक प्रतिवादी नं0 1 के इस कथन का प्रश्न है कि भूमि पर उसका कब्जा है, इसे प्रमाणित करने के लिए प्रतिवादी नं0 1 की ओर से कोई अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं इसलिए वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार तनकी नं0 1, 2, 3 अभिलेख से वादिया के पक्ष में प्रमाणित है तथा वादिया वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 76 रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर

बाढ छावा नम्बर 1 का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार भूमि वादिया की खातेदारी में दर्ज की जावे एवंसिवायचक से कम की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

कंचन पत्नी श्योनारायण, माली निवासी महूकलां तह0 गंगापुरसिटी ——वादी

बनाम

1. पप्पू पुत्र कन्हैयालाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —77 / 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री महेश मानावतार, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0नं0 78 रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम बाढ छावा नम्बर 1 का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार भूमि वादिया की खातेदारी में दर्ज की जावे एवंसिवायचक से कम की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.1.2019 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्चा		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		